पंचायती राज में महिला नेतृत्व और मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल: सशक्त स्थानीय शासन की ओर

कोमल रानी[1], डॉ. बलकार सिंह[2]

[1]शोध छात्रा, ग्रामीण विकास विभाग, इग्नू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली

[2]सहायक आचार्य, ग्रामीण विकास विभाग, इग्नू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सार—**भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करने का कार्य किया है। विशेषतः 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। वर्तमान समय में लगभग 44 प्रतिशत सीटों पर महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं, और कई राज्यों ने आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। हाल ही में 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित "मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत" राष्ट्रीय सम्मेलन ने महिला-अनुकूल शासन को नई दिशा प्रदान की है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल ग्राम पंचायत विकसित करने तथा उसकी प्रगति के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया है। प्रस्तुत लेख में पंचायती राज में महिला भागीदारी के ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक प्रावधानों, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भविष्य की रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है।**

मुख्य शब्द—**पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, महिला आरक्षण, स्थानीय शासन, मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत**

I. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की जड़ें ग्राम स्तर तक फैली हुई हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। किंतु महिलाओं की वास्तविक भागीदारी 1993 में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद सुनिश्चित हुई।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (प्रभावी 24 अप्रैल 1993) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप आज भारत में लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएँ स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। कई राज्यों—जैसे बिहार, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड—ने महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया है। यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का संकेत है।इन संशोधनों ने भारतीय लोकतंत्र को "जमीनी लोकतंत्र" की दिशा में अग्रसर किया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी एक केंद्रीय तत्व बनकर उभरी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महिला आरक्षण का विकास

1974 की समिति ने सुझाव दिया था कि महिलाओं के लिए पृथक पंचायतें बनाई जाएँ। 1988 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन ने ग्राम से जिला स्तर तक 30 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की। 1989 में 64वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, किंतु राज्यसभा में स्वीकृति न मिल सकी। अंततः 1992 में 73वाँ संशोधन पारित हुआ जिसने भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय आरंभ किया। महिला आरक्षण का प्रभाव केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक परिवर्तन को गति दी। पंचायत स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दिलाई।

II. संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण

1. अनुच्छेद 243 का महत्व

अनुच्छेद 243 के अंतर्गत:

- पंचायतों की कुल सीटों में कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित।
- अध्यक्ष पदों में भी एक-तिहाई आरक्षण।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण।

यह प्रावधान अंतर्विभाजक न्याय को बढ़ावा देता है।

2. 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ

11वीं अनुसूची में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल प्रबंधन, ग्रामीण आवास सहित 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं हेतु 18 विषय निर्धारित किए गए। इन विषयों के हस्तांतरण से महिलाओं को वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हुई।

वर्तमान परिदृश्य और उपलब्धियाँ

आज भारत विश्व में स्थानीय स्तर पर महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में अग्रणी देशों में है। लगभग 44 प्रतिशत सीटें महिलाओं के पास हैं। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी कई बार आरक्षित सीमा से भी अधिक देखी गई है।

अध्ययनों से स्पष्ट है कि जहाँ महिला प्रधान सक्रिय हैं, वहाँ भ्रष्टाचार में कमी, विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, टीकाकरण दर में सुधार तथा स्वच्छता अभियानों की सफलता अधिक पाई गई है। महिला प्रतिनिधियों ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह तथा लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 22 लाख है, जिनमें 14 लाख से अधिक महिलाएँ हैं। लगभग 44 प्रतिशत प्रतिनिधि महिलाएँ हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों ने 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।

विकासात्मक प्रभाव

अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला नेतृत्व वाले क्षेत्रों में:

- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि।
- पेयजल परियोजनाओं की प्राथमिकता।
- मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता।
- स्वच्छता और पोषण कार्यक्रमों में सक्रियता।

महिला प्रतिनिधियों ने आंगनवाड़ी सेवाओं, टीकाकरण कार्यक्रमों तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक भूमिका निभाई है।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण सत्ता-संतुलन को परिवर्तित किया है। पहले जहाँ सार्वजनिक निर्णय-निर्माण पुरुषों तक सीमित था, वहीं अब महिलाएँ ग्राम सभा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

- स्वयं सहायता समूहों का विस्तार।
- बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज।
- शिक्षा के प्रति जागरूकता।
- आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम।

यह परिवर्तन सामाजिक चेतना में दीर्घकालिक बदलाव का संकेत है।

संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, वास्तविकता के धरातल पर कई चुनौतियाँ आज भी सीना ताने खड़ी हैं।

'सरपंच-पति' की अवधारणा

यह सबसे गंभीर चुनौती है। सामाजिक दबाव और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण निर्वाचित महिला के स्थान पर उसका पति या परिवार का पुरुष सदस्य कार्यभार संभालता है। महिला केवल कागजों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित रह जाती है।

चक्रीय आरक्षण

आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था के तहत, एक सीट अगले चुनाव में अनारक्षित हो सकती है। इससे सफल महिला प्रतिनिधियों को अपना करियर आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें नए सिरे से अपनी पहचान बनानी पड़ती है।

डिजिटल और वित्तीय साक्षरता

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों के युग में, तकनीकी ज्ञान की कमी महिला प्रतिनिधियों को दूसरों पर निर्भर बना देती है।

पितृसत्तात्मक मानसिकता और हिंसा

राजनीति में सक्रिय महिलाओं को अक्सर चरित्र हनन या सामाजिक बहिष्कार जैसी धमकियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण समाज में अभी भी यह धारणा व्याप्त है कि "बाहर का काम पुरुषों का है।"

III. मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल, 2025

5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में “मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत” पहल का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल तथा केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एस. पी. सिंह बघेल उपस्थित रहे।

इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी ग्राम पंचायत विकसित करना है जो महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और विकासोन्मुख हो। 770 मॉडल ग्राम पंचायतों का चयन नेतृत्व विकास प्रशिक्षण के लिए किया गया है। सम्मेलन में रियल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया, जो महिला-अनुकूल पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पोषण कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन का विश्लेषण करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर” द्वारा 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ–जैसे कैंसर स्क्रीनिंग, जेरियाट्रिक केयर, डेंटल केयर और टेलीमेडिसिन–प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस अवसर पर “सशक्त महिला, सशक्त पंचायत से सशक्त भारत” की अवधारणा को रेखांकित किया गया,

जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने केरल, ओडिशा और राजस्थान के सफल मॉडलों का उल्लेख करते हुए स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व की भूमिका को सराहा।

इस पहल के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:

विज़न और उद्देश्य

इसका उद्देश्य ऐसी पंचायतें बनाना है जहाँ शासन प्रणाली महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और सम्मान को प्राथमिकता दे। केंद्रीय मंत्रियों (अनुप्रिया पटेल और एस. पी. सिंह बघेल) ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायतें अब केवल बुनियादी ढांचे (सड़क-नाली) तक सीमित न रहकर 'सामाजिक परिवर्तन' का केंद्र बनें।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता डिजिटल निगरानी है।

- प्रत्येक जिले में चयनित मॉडल पंचायतों की प्रगति को एक डैशबोर्ड के जरिए ट्रैक किया जाता है।
- इसमें डेटा का उपयोग कर यह देखा जाता है कि क्या महिला सभाएँ नियमित हो रही हैं? क्या बालिकाओं का ड्रॉपआउट रेट कम हुआ है?

आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य सेवाएँ

मॉडल पंचायतों में 12 प्रकार की विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। इनमें कैंसर स्क्रीनिंग (विशेषकर सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर) और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए पहले दुर्लभ थीं।

IV. चुनौतियाँ

यद्यपि महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, किंतु अनेक सामाजिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। चक्रीय आरक्षण के कारण महिलाओं का राजनीतिक कैरियर निरंतरता प्राप्त नहीं कर पाता। कई बार वे एक कार्यकाल के बाद पुनः चुनाव नहीं लड़ पातीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी एक प्रमुख बाधा है। डिजिटलीकरण के बढ़ते उपयोग के कारण प्रशासनिक कार्यों में दक्षता हेतु तकनीकी ज्ञान आवश्यक है, परंतु अनेक महिला प्रतिनिधि स्मार्टफोन या इंटरनेट संसाधनों से वंचित हैं।

सामाजिक स्तर पर पितृसत्तात्मक मानसिकता, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, जातीय भेदभाव तथा आर्थिक निर्भरता भी महिला नेतृत्व को प्रभावित करती है। कई मामलों में महिला प्रधानों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलती और परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक नियंत्रण रखते हैं। इन चुनौतियों का समाधान संस्थागत प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता और नीति सुधारों के माध्यम से किया जा सकता है।

भविष्य की रणनीति

महिला सशक्तिकरण को स्थायी बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। प्रथम, कौशल विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। द्वितीय, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार कर प्रशासनिक दक्षता बढ़ानी होगी। तृतीय, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाएगा।

मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल इसी दिशा में एक अभिनव प्रयास है, जो स्थानीय शासन को लैंगिक

संवेदनशील बनाते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करेगी।

महिला सशक्तिकरण को स्थायी बनाने हेतु निम्न रणनीतियाँ आवश्यक हैं:

- नेतृत्व एवं प्रबंधन प्रशिक्षण का विस्तार।
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाना।
- पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना।
- अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहन।
- सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन।

मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल स्थानीय शासन को लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बनाते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है।

क्षमता निर्माण

केवल निर्वाचित होना पर्याप्त नहीं है। महिला प्रतिनिधियों को बजट निर्माण, नियम-कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राज्यों को 'सरपंच-पति' प्रथा के विरुद्ध कड़े कानून बनाने चाहिए।

डिजिटल साक्षरता मिशन

प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'डिजिटल मित्र' की नियुक्ति होनी चाहिए जो महिला प्रतिनिधियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाए। उन्हें स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी मिलनी चाहिए।

महिला ग्राम सभा' का सुदृढ़ीकरण

मुख्य ग्राम सभा से पहले एक अलग 'महिला सभा' का आयोजन अनिवार्य होना चाहिए, ताकि महिलाएँ अपनी समस्याओं को खुलकर रख सकें और उन्हें वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करवाया जा सके।

वित्तीय स्वायत्तता

पंचायतों को अपने संसाधन खुद जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि महिला प्रतिनिधि विकास कार्यों के लिए केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहें।

V. निष्कर्ष

पिछले तीन दशकों में पंचायती राज में महिला आरक्षण ने भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की है। यह परिवर्तन केवल प्रतिनिधित्व की वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन का संकेत है। महिलाएँ आज स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं।हाल की मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल यह दर्शाती है कि सरकार स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक समर्थन को सशक्त किया जाए, तो पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व राष्ट्रीय विकास की आधारशिला सिद्ध होगा। पंचायती राज में महिला आरक्षण ने भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की है। यह परिवर्तन केवल प्रतिनिधित्व की वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और सत्ता-संतुलन में परिवर्तन का संकेत है।महिलाएँ आज स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। हाल की मॉडल विमेन-फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल यह दर्शाती है कि सरकार स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।यदि प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक समर्थन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व

भारत के समावेशी और सतत विकास की आधारशिला सिद्ध होगा।

संदर्भ सूची

[1] पाण्डेय, प. प. (2014). पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (पृ. 89-93). बरेली: राधा कमल मुखर्जी सचेतन परंपरा।

[2] त्रिपाठी, के. के. (2021). पंचायत योजना के माध्यम से नए भारत का निर्माण (पृ. 47). नई दिल्ली: कुरुक्षेत्र।

[3] तिवारी, अ. (2022, अप्रैल). पंचायती राज में महिलाएँ. कुरुक्षेत्र, 34.

[4] कुमार, स. (2020, मई). पंचायत से स्वच्छता अभियान तक महिलाओं की सफलता गाथा. कुरुक्षेत्र, 35.

[5] त्रिपाठी, अ., & बाजपेयी, अ. (2010). महिला सशक्तीकरण. प्रतियोगिता दर्पण, 2006.

[6] उपाध्याय, म. क. (वर्ष अज्ञात). महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास एवं चुनौतियाँ. कुरुक्षेत्र, 39.

[7] तोमर, स., & कुमार, अ. (2010). पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण: एक अनुभवात्मक अध्ययन. राधा कमल मुखर्जी: सचेतन परंपरा, 79-82.